संख्या : 15-2017-133(2)/छप्पन-2017-34/2014

प्रेषक,

डा0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 15 फरवरी, 2017

विषय :राजकीय हॉकर 900 एक्स0पी0 वायुयान पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 17-02-2017 से 02-03-2017 तक विचिटा कन्सास यू0एस0ए0 में रिकरेन्ट ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-110/ ना0उ0नि0/आप्स-19/2016, दिनांक 25-01-2017 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-14-2017-133/छप्पन-2017-46/2015, दिनांक 14-02-2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय वायुयान 900 एक्स0पी0 पर रिकरेन्ट ट्रेनिंग विचिटा कन्सास यू0एस0ए0 में दिनांक 17-02-2017 से 02-03-2017 तक (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) शुल्क भुगतान के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण शुल्क, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल भत्ता, वायुयान किराये एवं वीजा शुल्क के रूप में व्यय हेतु रूपये 15,56,050/- की स्वीकृति अग्रिम भुगतान के रूप में दी जानी है। अत: राज्यपाल महोदय उल्लिखित प्रशिक्षण शुल्क, दैनिक भत्ता, होटल किराया एवं लोकल भत्ता का भुगतान प्रति यू0एस0 डालर रूपये 70/- की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में रूपये 12,56,500/- होता है तथा वायुयान किराया एवं वीजा शुल्क तथा चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, एवं लोकल यात्रा भत्ता हेतु रूपये 2,99,550/- को सम्मिलित करते हुए कुल रूपये 15,56,050/- (रूपये पन्दरा लाख छप्पन हजार पचास मात्र) के व्यय हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10-6-2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

3- उक्त दैनिक भत्ता आदि तभी अनुमन्य होगा जब किसी विशेष स्थान/गन्तव्य पर अवस्थान की अवधि 08 घण्टे से अधिक (रात्रि 12-00 बजे से आगामी रात्रि 12-00 बजे के मध्य) होगी।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि में से नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान करने के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रश्नगत प्रशिक्षण के उपरान्त वायुयान किराया, लोकल यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं होटल किराया आदि से सम्बन्धित व्यय का विवरण (मूल बिल बाउचर के साथ) 15 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- कै0 अरूण कुमार द्वारा प्रस्तुत यात्रा बिल के बाउचरों का नियमानुसार परीक्षणोपरान्त अग्रिम भुगतान की गई धनराशि के समायोजन की सूचना शासन को तत्काल दी जाय।

7- अग्रिम भुगतान करने से पूर्व कै0 अरूण कुमार से शासन द्वारा अनुबन्धित बॉण्ड निष्पादित कराया जाय।

8- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- एफ0ए0-1-50-दस/2017, दिनांक 15 फरवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

पृ0सं0 : 15-2017-133(3)/छप्पन-2017-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।। आडिट भवन टी0सी0-ई0वी-।, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-।0
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2,
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।